न्यायालय सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 239 / 2023 (जी.सी.एम.एस. 2023 / 296)

वादी बनाम	प्रतिवादीगण
1. परमजीत कौर पत्नी छिन्द्रपाल सिंह पुत्री गजन सिंह निवासी ख्यालीवाला तहसील रायसिंहनगर हाल निवासी गांव 55 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. सुखवन्त सिंह पुत्र गजन सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 55 एफ तहसील श्रीकरनपुर 2. बलजीत कौर पत्नी गजन सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 55 एफ तहसील श्रीकरनपुर 3. राजवीर कौर पुत्री गजन सिंह पत्नी कर्मजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्रीकरनपुर 4. सतपाल कौर पुत्री गजन सिंह पत्नी सतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 12 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर।

तारीख रजू:— 19.07.2023

उपस्थित: 1.श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग अधिवक्ता वादिया
2.श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आरटीए

——निर्णय—— दिनांक : 04.09.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 56 एफ तहसील श्रीकरनपुर की चारसाला जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या 13/11 के मुरब्बा नम्बर 14 में किला नम्बर 1 के 0.227 है0, किला नं0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रत्येक सालम-सालम व किला नम्बर 10 के 0.228 है0, कुल 2.479 है0 व इसी चक 55 एफ के खाता संख्या 10/11 की चारसाला जमाबन्दी सम्वत् 2076 ता 2079 के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नं0 16, 17, 18, 19, 20 सालम-सालम बारानी व किला नं0 21, 22, 23 प्रत्येक के 0.190 है0, किला नं0 24 व 25 प्रत्येक के 0.189 है0 व मु0नं0 53 के किला नं0 21/1 के 0.076 है0, किला नं0 22, 23 प्रत्येक के 0.227 है0, किला नं0 24 में 0.228 है0 नहरी कुल 2.971 है0 नहरी बारानी व चक 55 एफ के खाता संख्या 60 के मुरब्बा नम्बर 53 में 0.758 है0 नहरी भूमि में 0.253 है. गजन सिंह के नाम थी, इस प्रकार तीनो खातो में 5.703 है0 नहरी बारानी भूमि वादिया के पिता गजन सिंह के नाम बतौर खातेदार दर्ज कागजात माल थी व वादिया की माता बलजीत कौर पत्नी गजन सिंह के नाम चक 55 एफ की चारसाला जमाबन्दी सम्वत् 2076 ता 2079 के खाता संख्या 66/66 के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नं0 13/1 में 0.051 है0, किला नं0 13/2 में 0.126 है0, किला नं0 14/1 के 0.228 है0, किला नं0 17 सालम व किला नं0 18/1 की 0.151 है0, किला नं0 18/2 में 0.101 है0, किला नं0 19 सालम, किला नं0 20 में 0.228 है0, किला नं0 21/2 में 0.126 है0 एवं मु0नं0 67/10 के किला नं0 0 में 0.051 है0 गैर मुमकिन खाल कुल 1.568 है0 भूमि बतौर खातेदार दर्ज कागजात माल थी। इस प्रकार वादिया के पिता गजन सिंह के नाम 5.703 है0 व वादिया की माता बलजीत कौर 1.568 है0 इस प्रकार दोनो के नाम 7.271 है0 नहरी बारानी भूमि बतौर खातेदारी दर्ज कागजात माल थी। गजन सिंह के तीन लडकिया व एक लडका था, गजन सिंह ने तीनो लडकियों व लडके की शादी कर दी थी। वादिया का भाई सुखवन्त सिंह शादी के तुरन्त बाद अपने पिता से अलग हो गया था। वादिया को उसके पति ने घर से निकाल दिया। वादिया अपने पिता के पास ही रही। वादिया द्वारा ही अपने माता-पिता की सेवा संभाल की, क्योंकि वादिया का भाई सुखवन्त सिंह तो शादी के बाद अलग हो गया। गजन सिहं के एक ही लडका था, अलग होने के कारण गजन सिंह व उसकी पत्नी की सार संभाल करने वाला अन्य कोई नही था। वादिया के पिता गजन सिंह व माता बलजीत कौर के नाम करीब चक 55 एफ एवं 56 एफ तहसील श्रीकरनपुर में 7.271 है0 नहरी बारानी भूमि दर्ज थी। गजन सिंह द्वारा अपने जीवनकाल

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

2. में वादिया के भाई सुखवन्त सिंह अलग होने के कारण उसका हिस्सा 2.875 हैक्टेयर उसके लडके बलराज सिंह के नाम जरिये दान पत्र दर्ज करवा दिया था, जो आज बलराज सिंह के नाम भूमि बतौर खातेदार दर्ज कागजातमाल है। वादिया अपने माता-पिता की सेवा सम्भाल कर रही थी, इसलिए वादिया के पिता ने चक 55 एफ एवं 56 एफ के शेष 2.828 हैक्टेयर भूमि जरिये दान पत्र दिनांक 27.02.2022 को वादिया को कर दी थी और उक्त भूमि पर गजन सिंह के जीवनकाल में गजन सिंह का एवं उसकी मृत्यु के बाद वादिया का कब्जा चला आ रहा है। वादिया को वादिया के पिता गजन सिंह द्वारा अपने नाम की भूमि चक 56 एफ तहसील श्रीकरनपुर के खाता संख्या 13 के मुरब्बा नम्बर 14 में 1.240 है0 व चक 55 एफ के खाता संख्या 10 के मुरब्बा नम्बर 6 व मुरब्बा नम्बर 53 में से 1.335 है0 नहरी बारानी व चक 55 एफ के खाता संख्या 60 के मुरब्बा नम्बर 53 में 0.253 है0 नहरी रकबा इस प्रकार 2.828 हैक्टेयर नहरी बारानी भूमि को जरिये दान पत्र दिनांक 27.02.2022 को रूबरू गवाहान कर दी। उक्त दान पत्रो का गवाह भी वादिया का भाई सुखवन्त सिंह है। वादिया के पिता गजन सिंह द्वारा भूमि वादिया के भाई सुखवन्त सिंह के लडके बलराज सिंह को चक 55 एफ एवं 56 एफ में 2.875 हैक्टेयर भूमि व 2.828 हैक्टेयर भूमि जरिये दान पत्र वादिया को दे दी और वादिया की माता बलजीत कौर के नाम चक 55 एफ के खाता संख्या 66 में 1.568 है0 भूमि दर्ज थी। वादिया के भाई सुखवन्त सिंह व उसके लडके बलराज सिंह के द्वारा कहा गया कि हम आपकी ताउम्र देखभाल करेगें, जिस पर वादीया की माता ने विश्वास करके अपने नाम की भूमि में से अपने पोते बलराज सिंह को अपनी उक्त भूमि में से 1.036 है0 भूमि दान कर दी एवं 0.532 है0 भूमि वादिया को दान कर दी। जिसका इन्तकाल संख्या 514 दिनांक 21.09.2022 को बलराज सिंह व वादिया के नाम बतौर खातेदार दर्ज हो चुका है। गजन सिंह के जीवनकाल में वादिया व वादिया का भाई अपनी अपनी भूमि काश्त करते रहे। इसी दौरान गजन सिंह की मृत्यु हो गई। गजन सिंह वादिया के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वादिया के भाई ने कहा कि भूमि के दान पत्र की कॉपी मुझे दे दो। मै भूमि का इन्तकाल आपके नाम चढवा दूंगा। वादिया ने भाई पर विश्वास करके दान पत्रों की कॉपिया भाई को सौपं दी, लेकिन वादिया के भाई व उसके लडके बलराज सिंह ने पटवारी, सरपंच व कर्मचारियो से मिलकर गजन सिंह की भूमि का विरास्तन इन्काल दर्ज करवा लिया। जबकि वादिया के भाई को पता था कि भूमि का दा नत्र वादिया के हक में है और कब्जा भी वादिया का ही है। गजन सिंह द्वारा अपनी भूमि वादिया को जरिये दानपत्र दी थी, इसलिये भूमि का इन्तकाल दानपत्र के आधार पर वादिया के नाम होना चाहिए था, क्योंकि वादिया के भाई को उसका हिस्सा पहले ही दे दिया था। जो उसके लडके बलराज सिंह के नाम दर्ज है। विरास्तन इन्तकाल संख्या 518, 473 दिनांक 15.12.2022 को विधि विरूद्व दर्ज हुआ है। जो काबिले खारिज फरमाया जावे। वादिया को दान पत्र के अनुसार गजन सिंह की भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। गजन सिंह की भूमि पर गजन सिंह के जीवनकाल से आज तक भूमि पर कब्जा काश्त वादिया का चला आ रहा हैं इसलिए विरास्तन इन्तकाल वादिया को बिना सुने व बिना कब्जा देखे कानूनन से बाहर जाकर वादिया का हक व हिस्सा मारने के लिए प्रतिवादीगण सुखवन्त सिंह व बलराज सिंह ने सरपंच व पटवारी से मिलीभगत करके दर्ज करवाया गया, जो वादिया के अधिकारो पर बेअसर होने के कारण विरास्तन इन्तकाल काबिले खारिजी के है, जो खारिज फरमाया जावे। वादिया के पिता गजन सिंह की वादिया के भाई सुखवन्त सिंह या उसके लडके बलराज सिंह ने कभी भी गजन सिंह की सेवा संभाल नही की। गजन सिंह की सेवा संभाल वादिया द्वारा ही की गई थी और ना ही अब वादिया की माता बलजीत कौर की भाई सुखवन्त सिंह या उसके लडके बलराज सिंह द्वारा कोई सेवा संभाल नहीं की जा रही। माता बुजुर्ग महिला है, वादिया के भाई सुखवन्त सिंह व सुखवन्त सिंह के पुत्र बलराज सिंह ने वादिया की माता को सेवा संभाल का कहकर भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है। अब दोनों द्वारा वादिया की माता की कोई सुध-बुध या दवा-दारू नहीं की जा रही है, वादिया की माता के पास कोई भूमि नहीं है। इसलिए गजन सिंह ने अपने 2.828 है0 भूमि वादिया को जरिये दान पत्र दे दी थी। प्रतिवादीगण द्वारा मिलीभगत के विधि विरूद्व गजन सिंह की भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाया हैं वादिया दान पत्र की रूह से गजन सिंह की भूमि का मालिक हो चुकी है, इसलिए गजन सिंह की भूमि का वादिया विरास्तन इन्तकाल में 518, 473 दिनांक 15.12.2022 का खारिज करवा पाने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

की अधिकारी है ओर भूमि अपने नाम जरिये दान पत्र भूमि अपने नाम बतौर खातेदारी दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है।अतः वाद पत्र मय पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 56 एफ तहसील श्रीकरनपुर के खाता संख्या 13 के मुरब्बा नम्बर 14 में 1.240 हैक्टेयर व चक 55 एफ के खाता संख्या 10 के मुरब्बा नम्बर 6 व मुरब्बा नम्बर 53 में से 1.335 हैक्टेयर नहरी बारानी व चक 55 एफ के खाता संख्या 60 के मुरब्बा नम्बर 53 में 0.253 हैक्टेयर नहरी रकबा इस प्रकार 2.828 हैक्टेयर नहरी बारानी भूमि की बावत् विरास्तन इन्तकाल संख्या 518, 473 दिनांक 15.12.2022 को खारिज कर उक्त भूमि वादिया को जरिये दान पत्र भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जावे।

3. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा उपस्थित आए व जवावदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार चक 55 एफ एंव 56 एफ में 2.875 हैक्टेयर भूमि सुखवन्त सिंह के लडके बलराज सिंह को पिता गजन सिंह द्वारा दी थी व 2.828 हैक्टेयर भूमि जरिये दानपत्र वादिया को दी थी। विरास्तन इन्तकाल संख्या 518, 473 दिनांक 15.12.2022 गलत दर्ज हुए है, भूमि दानपत्र के आधार पर परमजीत कौर के नाम ही दर्ज की जावे, तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। इसके अलावा उक्त प्रकरण में हम पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है। अतः गजन सिंह की भूमि का विरास्तन इन्तकाल संख्या 518, 413 दिनांक 15.12.2022 को खारिज फरमाते हुए गजन सिंह की चक 55 एफ व 56 एफ की 2.828 हैक्टेयर भूमि का वादिया को जरिये दानपत्र दिनांक 27.07.2022 की रूह से खातेदार घोषित किया जावे। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादीगण को वादी का वादपत्र स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।

4. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, प्रतिवादीगण जवाबदावा का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम चक 56 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 13/11 की प्रति, राजस्व ग्राम चक 55 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 10/11 की प्रति, राजस्व ग्राम चक 55 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 60/64 की प्रति, पंजीकृत दान पत्र गजन सिंह बहक परमजीत कौर की छायाप्रतियां, चक 56 एफ के इन्तकाल संख्या 473 दिनांक 15.12.2022 की प्रति, चक 55 एफ के इन्तकाल संख्या 518 दिनांक 15.12.2022 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादिया द्वारा राजस्व ग्राम चक 56 एफ व 55 एफ के विरास्तन इन्तकाल संख्या 473, 518 दिनांक 15.12.2022 को निरस्त करवाकर दानपत्र की रूह से 2.828 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया है। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाबदावा में अर्ज किया है कि गजन सिंह ने चक 56 एफ व 55 एफ की 2.828 हैक्टेयर भूमि जरिये दानपत्र वादिया को दी थी। विरास्तन इन्तकाल संख्या 518, 473 दिनांक 15.12.2022 गलत दर्ज हुए है, भूमि दानपत्र के आधार पर परमजीत कौर के नाम ही दर्ज की जावे, तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण में जवाबदावा सहमति का है। दोनो पक्षों के द्वारा चक 56 एफ व 55 एफ के इन्तकाल संख्या 473, 518 दिनांक 15.12.2022 को खारिज करवाकर दानपत्र की रूह से 2.828 हैक्टेयर भूमि का खातेदार परमजीत कौर को घोषित किए जाने बाबत अर्ज किया है। अतः वाद पत्र वादिया, वादिया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत सहमति जवाबदावा के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

-:आदेश:-

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 56 एफ के इन्तकाल संख्या 473 दिनांक 15.12.2022 व चक 55 एफ के इन्तकाल संख्या 518 दिनांक 15.12.2022 को खारिज किया जाकर पंजीकृत दानपत्र (गजन सिंह बहक परमजीत कौर) दिनांक 27.07.2022 की रूह से वादिया परमजीत कौर पुत्री गजन सिंह पत्नी छिन्द्रपाल सिंह को राजस्व ग्राम चक 56 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 13/11 के मुरब्बा नम्बर 14 की 1.240 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम चक 55 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 10/11 के मुरब्बा नम्बर 6, 53 की 1.335 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम चक 55 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 60/64 के मुरब्बा नम्बर 53 की 0.253 हैक्टेयर भूमि कुल 2.828 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाव्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

परमजीत कौर बनाम सुखवंत सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **88, 188, 92ए आरटीए** मुकदमा नम्बर **239/2023**

निर्णय दिनांक :- **04.09.2023**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 56 एफ के इन्तकाल संख्या 473 दिनांक 15.12.2022 व चक 55 एफ के इन्तकाल संख्या 518 दिनांक 15.12.2022 को खारिज किया जाकर पंजीकृत दानपत्र (गजन सिंह बहक परमजीत कौर) दिनांक 27.07.2022 की रूह से वादिया परमजीत कौर पुत्री गजन सिंह पत्नी छिन्द्रपाल सिंह को राजस्व ग्राम चक 56 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 13/11 के मुरब्बा नम्बर 14 की 1.240 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम चक 55 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 10/11 के मुरब्बा नम्बर 6, 53 की 1.335 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम चक 55 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 60/64 के मुरब्बा नम्बर 53 की 0.253 हैक्टेयर भूमि कुल 2.828 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। उपुर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 04.09.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	04	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2023/461
दिनांकः 04.09.2023

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर